क्रमांक 6832-4 जी0 एस0-II-71/36211

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मंडल, सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 20 दिसम्बर, 1971 ।

विषय : भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारियों, सार्ट सर्विस कमीशण्ड अधिकारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लए राज सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण के बारे में समय सीमा ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान अपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 4741-4 जी0एस0 II-71/26709, दिनांक 13-9-1971 में निर्दिष्ट अनुदेशों तथा अन्य पूर्व अनुदेशों की ओर दिलाऊं तथा कहूं कि इस सम भूतपूर्व आपातकाल कमीशण्ड अधिकारियों/शार्ट सर्विस कमीशण्ड अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये सरकारी सेवा में कु वर्गों को पदों में रिक्तियों के आरक्षण के बारे में समय सीमा नियत नहीं है । इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि यह आरक्षण राज्य की सभी सेवाओं में 31-12-1973 तक लागू रहेगा और यदि समय की सीमा को बढ़ाना आवश्य समझा गया तो कथित समय के पश्चात् विचार किया जावेगा ।

भवदीय

हस्त/

उप सचिव, सामान्य प्रशास

कृते0: मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

एक प्रति निम्नलिखित :-

वित्तायुक्त, राजस्व, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को इस विभाग के प्रशा0 क्रमांक 4741-जी0एस0-II-71/दिनांक 13-9-71 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।